न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 75/17

1. रमनदीप कौर पुत्री शिवराज सिंह पत्नी औंकार सिंह जाति जटसिख निवासी 65 आरबी तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी 6 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखवीर कौर पत्नी शिवराज सिंह जाति जटसिख निवासी 65 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 65 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

उपस्थितिः—
1. श्री किशन लाल लदोईया अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अवतार सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

—:निर्णयः— दिनांकः— 26-11-2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 शिवराज सिंह के नाम से 63 आरबी बी के मु.नं. 5 पं.नं. 184/267 के कि.नं. 12/2 में .228 है0, 3/1 में 0.038 है0, 18 व 19 में 0.506 है0 कुल 0.772 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया सं. 1 के दादा व प्रार्थीया सं. 2 के ससूर निरंजन सिंह के नाम की चक मलखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का स्थित भूमि बेचकर अपने हकीकी भाईयों सुखविन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह व बाबु सिंह के साथ संयुक्त रूप से खरीद की थी। जो कालान्तर में खाता विभाजन होकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अलग खाता संधारित हुआ। इसलिए मौजूदा समय में 0.772 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 की पुश्तैनी सम्पति है। अप्रार्थी सं. 1 शिवराज सिंह के मुझ प्रार्थीया सं. 1 के अलावा अन्य कोई सन्तान नही है। इसलिए शिवराज सिंह के, प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता सुखवीर कौर, कुल दो ही विधिक उतराधिकारी है। चूंकि शिवराजसिंह ने उक्त विवादित भूमि अपने पिता के नाम की पंजाब स्थित भूमि बेचकर उस रकम से खरीद की थी। इसलिए यह भूमि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है तथा प्रार्थीया सं. 1 शिवराजसिंह की पुत्री होने के कारण शिवराजसिंह के नाम की उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.386 है0 भाग बनता है। जिसको प्रार्थीया सं. 1 विभाजन करवा कर अपना भाग अलग करवाने की विधिक अधिकारिणी है। प्रार्थीया सं. 2 जो कि अप्रार्थी सं. 1 की धर्मपत्नी है जो काफी अरसा से बीमार रहती है तथा चलने फिरने में असमर्थ है एवं प्रार्थीया सं. 1 की अरसा करीब 7 वर्ष पूर्व ननीहाल वालो ने शादी कर दी, जो शादी के बाद से अपने ससुराल में आबाद है। इसलिए प्रार्थी सं. 2 की बीमारी व लाचारी का तथा घर में किसी अन्य सदस्य की मौजूदगी ना होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं 1 आये दिन शराब के नशें में चूर रहने लग गया। प्रार्थी सं. 2 के साथ मार पिटाई करना व धक्के मारकर घर से निकालना आम बात हो गई। निरंजन सिंह की सम्पति बेचान कर उस रकम से शिवराज सिंह द्वारा खरीद की गई विवादित सम्पति चक 63 आरबी बी की मु.नं. 5 के कि.नं. 12, 13, 18 व 19 की कुल 0.772 है0 नहरी कृषि भूमि में से 1/2 भाग प्रार्थीया सं. 1 के हिस्से में आती है। प्रार्थीया सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 की धर्मपत्नी होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के नाम की शेष भूमि पर प्रार्थीया सं. 2 के भरण—पोषण व ईलाज तथा मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति का भार भी पुश्तैनी सम्पति पर है। अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 इस अमर की

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

सादिर फरमाई जावे कि अप्रार्थी सं. 1 स्वयं या उनका हितबद्ध या पश्चातवर्ती प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की भूमि वाके चक 63 आरबीबी के खाता सं. 74/72 के पं.नं. 184/267 मु.नं. 5 के कि.नं 12/2 में .228 है0, 3/1 में 0.038 है0, 18 व 19 में 0.506 है0 कुल 0.772 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थीया सं. 1 के 1/2 भाग अर्थात .386 है0 नहरी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व उक्त रकबा किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण, रहन बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे। अतः किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे व ऐसा कोई कृत्य नही करने जिससे प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की उक्त कृषि भूमि से बेदखल व वंचित होते हो।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अवतार सिंह अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पति दादा से प्राप्त सम्पति को बेचान कर खरीद की गई है। जो प्रार्थीया सं. 1 के पिता के नाम से है। प्रार्थीया के आलवा कोई वारिस नही है। इसलिए प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.386 है0 नहरी भूमि को अप्रार्थी सं. 1 को किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने से पावन्द किया जावे एवं दिनांक 23.06.17 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक स्थाई करने हेतु निवदेन किया। वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि विवाद ग्रस्त सम्पति मुझ अप्रार्थी की स्वयं पैदाकर्ता सम्पदा है। जिसमें प्रार्थीया सं 1 का किसी प्रकार का कोई भाग नही बनता है। प्रार्थीया सं. 1 किसी प्रकार का व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–72 चक 63 आरबी बी के खाता सं. 74/72 में अंकित पं.नं. 184/267 मु.नं. 5 के कि.नं 12/2 में .228 है0, 3/1 में 0.038 है0, 18 व 19 में 0.506 है0 कुल 0.772 है0 नहरी भूमि शिवराज सिंह वल्द निरंजन सिंह कौम जटसिख साकिन 65 आरबी खातेदार रहन ओबीसी शाखा 22 पीएस मुर्तहीन दर्ज है। प्रकरण में किसी का हक तय नही किया जाना है। जो कि मुल वाद में दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मैरिट के आधार पर तय किया जाना है। केवल मात्र स्थगन आदेश का निस्तारण किया जाना है। प्रकरण में स्थगन आदेश जारी न किया जाता है तो अप्रार्थी को नुकसान न होकर प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित भूमि चक 63 आरबी बी के खाता सं. 74/72 में अंकित पं.नं. 184/267 मु.नं. 5 के कि.नं 12/2 में .228 है0, 3/1 में 0.038 है0, 18 व 19 में 0.506 है0 कुल 0.772 है0 नहरी भूमि में प्रार्थीया के हिस्से तक मूल वाद के निर्णय होने तक रहन व बेचान न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26-11-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.10 15:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: